

20/7/17

वकील वादी एवं गादी स्वयं अनुपस्थित। आज उन्हें शजाल
के अंते वक्त तक बार बार भावोंके दिलवाही गई परन्तु वादी
की ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आयी किंतु प्रकरण
बिना हाजिरी बिना पैरवी के प्रकरण खालि किया
जाया है। पत्रावली फाँल शुमार लेकर नंबर से काम है
वाक प्रकर दारिखल है।

जजलाल अदालत
मसूदा (अजमेर)

